राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)( ) छात्र./ पोर्टल./सान्याअवि/2018-19/ 1857   दिनांक : 01/03/2019

संशोधित आदेश

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 5921 दिनांक 29.01.2019 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट **www.scholarship.rajasthan.gov.in** के माध्यम से पेपरलेस छात्रवृति आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	विषय वस्तु	संशोधित अन्तिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	10 मार्च, 2019
2.	शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को अग्रेषित करने की तिथि	20 मार्च, 2019
3.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर उपलब्ध बजट के आधार पर भुगतान करने की अन्तिम तिथि	31 मार्च, 2019

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page** पर **New Scholarship Portal** पर भी देखी जा सकती है ।

(सांवर मल वर्मा)
आयुक्त

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ9(4)(20)छात्र./पोर्टल/सान्याअवि/2018-19/1858 - 2060 दिनांक : 01/03/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त................।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं..............................।
19. अतिरिक्त निदेशक (IT) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned by CamScanner